शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 1 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 29 – 5 जनवरी 2025 मूल्य पांच रूपये

क्या KCC बैंक के आठ अधिकारियों के खिलाफ हुई एफआईआर किसी राजनीतिक तूफान का संकेत है?

शिमला/शैल। क्या कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला के पूर्व एमडी और वर्तमान प्रशासक एवं अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुई धोखाधड़ी की एफ.आई. आर प्रदेश की राजनीति में किसी बड़े तूफान का संकेत है? यह सवाल इसलिये प्रसांगिक हो जाता है क्योंकि इस मामले के शिकायत करता युद्ध चन्द बैंस उस समय चर्चा में आये जब ई.डी और सी.बी. आई. ने हमीरपुर और नादौन में छापेमारी करने के बाद ज्ञानचन्द और संजय धीमान को हिरासत में ले लिया। इस मामले में ज्ञानचन्द तो जमानत पर बाहर आ गये हैं लेकिन संजय धीमान अभी भी जेल में हैं। इस छापेमारी के बाद युद्ध चन्द बैंस ने यह खुलासा किया था कि वह ई.डी. में शिकायतकर्ता है। इस खुलासे के बाद बैंस के खिलाफ प्रदेश विजिलैन्स ने ऊना में उसके ऋण मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कर दी। इस एफ.आई.आर. के बाद बैंस का होटल ऋण मामला चर्चा में आ गया। विजिलैन्स की एफ. आई.आर. प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंच गयी। इस मामले में बैंस को उच्च न्यायालय से नियमित जमानत मिल गयी। इसी दौरान यह चर्चा में आया की बैंस से उसके ऋण मामले को सेटल करने के लिये 50 लाख की रिश्वत मांगी गयी और उसकी होटल की जमीन को दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को देने की योजना सामने आयी। इस चर्चा को इसलिये अधिमान मिल गया क्योंकि बैंस ने यह दावा किया कि उसने हर वार्तालाप की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है और यह सब कुछ ई.डी. और विजिलैन्स को सौंप दिया है। बैंस के इस दावे का कहीं से कोई खण्डन नहीं आया है। विजिलैन्स ने उसकी जमानत को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है। जब बैंस का ऋण मामला चर्चा में आया था तब आदित्य नेगी बैंक के एमडी ने बैंक अधिकारियों से इस मामले में जानकारी मांगी। आदित्य नेगी ने बैंक अधिकारियों को शोकाज नोटिस तक जारी कर दिये। इस पर बैंस ने उसके ऋण मामले में आवश्यक दस्तावेज गायब कर दिये जाने को लेकर पुलिस में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की गुहार लगा दी। पुलिस से उसकी शिकायत पर कार्यवाही न किये जाने पर बैंस ने 156(3) में अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। अब अदालत के तेवर देखकर पुलिस ने आठ अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके बैंस के ब्यान भी दर्ज कर लिये हैं। आरोप है कि बैंस ने अपने ऋण मामले में जो संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी थी उसकी वैल्यूएशन के दस्तावेज बैंक से गायब हैं। दस्तावेजों का गायब होना बैंस के आरोपों की एक तरह से पुष्टि मानी जा रही है। इस मामले में बैंस पुलिस की धीमी जांच पर प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर इस जांच को सीबीआई को सौंपने की गुहार लगा सकता है। यदि यह मामला जांच के लिये सीबीआई में पहुंच जाता है और दस्तावेजों का गायब होना प्रमाणित हो जाता है तो बैंस द्वारा इस मामले में लगाये गये अन्य आरोप भी स्वत: ही अधिमान पा जाते हैं। क्योंकि बैंस ने हर वार्तालाप की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करने का दावा कर रखा है। बैंक के मौजूदा प्रशासक और पूर्व में एमडी रहे विनोद कुमार मुख्यमंत्री की विधायक पत्नी कमलेश कुमारी के सहपाठी रहे हैं और इन्हीं के कार्यकाल में कांगड़ा सरकारी बैंक द्वारा देहरा उपचुनावों के दौरान देहरा के महिला मण्डलों को कैश बांटने का आरोप है। इस आरोप की शिकायत राज्यपाल तक भी पहुंची हुई है और प्रदेश उच्च न्यायालय में भी मामला दायर हो चुका है। इस समय जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी बनाम भाजपा होता जा रहा है उसके कारण आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव बढ़ना निश्चित है। इस टकराव का असर कांग्रेस की सरकारों पर पढ़ना तय है। हिमाचल में इस समय भाजपा का हर नेता राहुल गांधी को कोसने पर आ गया है। लेकिन इसके जवाब में हिमाचल में कांग्रेस की परफारमैन्स ''वोट चोर गद्दी छोड़'' और अब मनरेगा के अभियानों पर कोई ज्यादा कारगर नहीं रही है। ऐसे में यदि बैंस के माध्यम से कांग्रेस सरकार घिर जाती है तो भाजपा इस अवसर का पूरा-पूरा राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करेगी यह तय है।

महिलाओं की सुरक्षा पर कांग्रेस सरकार पूरी तरह फेल:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने

हिमाचल प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए कांग्रेस सरकार पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी के चलते प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश में कुल 17,385 अपराध दर्ज किए गए, जबकि 2024 में यह संख्या 16,393 थी, यानी एक ही वर्ष में 6 प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी हुई है। यह साफ दर्शाता है कि अपराध पर नियंत्रण पाने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है।

नशा तस्करी को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को नशा माफियाओं के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना दिया है। 2025 में नशा तस्करी के 1,967 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में 1,537 केस थे, जो लगभग 28 प्रतिशत की बढ़ौतरी को दर्शाता है।

उन्होने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों के संदर्भ में भी आंकड़े चिंता की ओर संकेत करते हैं। बलात्कार के मामलों में वर्ष 2025 में 363 केस दर्ज किए गए, जो 2024 के 305 मामलों की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत अधिक हैं। इसी प्रकार अपहरण और एबडक्शन के मामलों में 2024 के 453 मामलों के मुकाबले 2025 में 533 केस दर्ज हुए, जो करीब 17.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि हिमाचल के आम नागरिकों में बढ़ती असुरक्षा और कांग्रेस सरकार की विफलता की गवाही हैं। उन्होंने मांग की कि अपराधों पर तत्काल जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाये, हर मामले में निष्पक्ष और सख्त कारवाई हो और दोषियों को ऐसी सजा दी जाये कि दोबारा अपराध करने की हिम्मत न कर सकें।

युवाओं को नशे से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्रदेश में बढ़ते नशे के खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों से एकजुट

और निरंतर प्रयास करने का आहवान किया है। वे शिमला विंटर कार्निवल के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे।

नव वर्ष के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या के दौरान राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि नशे के दुष्परिणाम केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक को स्वयं नशे से दूर रहने के साथ-साथ दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उपस्थित रहीं।

राज्यपाल ने कहा कि शिमला विंटर कार्निवल हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और अतिथि-सत्कार परंपरा का सशक्त प्रतीक बन चुका है। उन्होंने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों की सक्रिय सहभागिता की सराहना करते हुए कहा कि कलाकारों की प्रभावशाली प्रस्तुतियों ने कार्निवल के तीसरे संस्करण को विशेष पहचान दिलाई है।

उन्होंने शिमला नगर निगम एवं आयोजन समिति को सामाजिक जागरूकता के संदेश के साथ इस सांस्कृतिक उत्सव के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। साथ ही राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण, संतुलित पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी बल दिया।

समारोह से पूर्व शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने राज्यपाल एवं लेडी गवर्नर को सम्मानित किया। राज्यपाल ने 'वॉयस ऑफ शिमला सीजन-3' के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में हास्य कलाकार अहसान कुरैशी और बॉलीवुड गायिका हेमा सरदेसाई की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं।

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नव वर्ष 2026 के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि नया वर्ष प्रदेशवासियों के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लेकर आएगा तथा विकास और प्रगति के नए अवसर सृजित होंगे।

राज्यपाल ने कहा कि नव वर्ष आशाओं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने इसे एक मजबूत, स्वस्थ और समावेशी समाज के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प लेने का समय बताया। उन्होंने प्रदेश और राष्ट्र के सर्वांगीण कल्याण के लिए आपसी सौहार्द, सहयोग और समर्पण की भावना से कार्य करने का आहवान किया।

राज्यपाल ने नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अनुशासन, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध हिमाचल प्रदेश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आग्रह किया।

अपने संदेश के अंत में राज्यपाल ने वर्ष 2026 में प्रदेश के निरंतर विकास, सामाजिक समरसता और सुख-शांति के लिए मंगलकामना की।

ममता वर्मा को डीडी न्यूज की महानिदेशक का प्रभार मिला

शिमला/शैल। भारतीय सूचना सेवा आईआईएस की वरिष्ठ अधिकारी ममता वर्मा को दूरदर्शन समाचार डीडी

न्यूज के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल का प्रभार सौंपा गया। 1994 बैच की आईआईएस अधिकारी ममता वर्मा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की मूल निवासी हैं। उन्होंने शिमला के प्रतिष्ठित लोरेटो कॉन्वेंट और सेंट बीड्स कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और अपने पेशेवर करियर में उच्चतम मानक स्थापित किए हैं।

ममता वर्मा इससे पहले केंद्रीय पंचायतीराज विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थीं, जहां उन्होंने सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब उन्हें डीडी न्यूज के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे देश के प्रमुख समाचार चौनल के संचालन और पत्रकारिता की दिशा में नई ऊर्जा और रणनीतिक दृष्टिकोण आने की उम्मीद है।

उनके अनुभव और प्रशासनिक दक्षता के आधार पर यह माना जा रहा है कि डीडी न्यूज की कार्यप्रणाली में और मजबूती आएगी, साथ ही जनता तक सूचना की विश्वसनीय और समयोचित पहुँच सुनिश्चित होगी। ममता वर्मा का यह कदम भारतीय मीडिया जगत में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

हिमाचल ने रचा इतिहास, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम

एक ही स्थान पर 4,023 हस्तनिर्मित शॉलों के प्रदर्शन से मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

शिमला/शैल। उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ही स्थान पर सर्वाधिक हस्तनिर्मित शॉलों के प्रदर्शन के माध्यम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर नया इतिहास रच दिया है। इस आयोजन में प्रदेश के सभी 12 जिलों के कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की गई कुल 4,023 हस्तनिर्मित शॉलों का प्रदर्शन किया गया।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स संगठन द्वारा इस उपलब्धि की आधिकारिक पुष्टि की गई है। यह रिकॉर्ड प्रदेश की समृद्ध हैंडलूम परंपरा, कारीगरों की उत्कृष्ट कला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

यह आयोजन उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य स्थानीय बुनकरों की कला को सम्मान देना, पारंपरिक बुनाई को संरक्षित करना और हिमाचली शॉलों को वैश्विक पहचान दिलाना रहा।

इस अवसर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार एवं प्रदेश के कारीगरों की ओर से प्राप्त किया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित प्रशासनिक सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

यह अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि प्रदेश के हजारों कारीगरों की मेहनत और कौशल को समर्पित है तथा हस्तकरघा क्षेत्र के सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने नाहन मेडिकल कॉलेज निर्माण पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार और निर्माण से संबंधित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी उपस्थित रहे।

डॉ शांडिल ने बताया कि डॉ. यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिये वर्ष 2018 में 260.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन एजेंसियों के विवाद के चलते जून 2022 में कार्य रोक दिया गया और केवल 7 प्रतिशत प्रगति हो सकी। उप-समिति ने निर्माण कार्य आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की और अधिकारियों को अगली बैठक में आर्बिट्रेशन से जुड़े मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बैठक में विशेष सचिव स्वास्थ्य अश्वनी शर्मा, सचिव स्वास्थ्य संदीप कदम, उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

हर 10 दिन में जल स्रोतों के निरीक्षण के निर्देश:डॉ. अभिषेक जैन

प्रदेश के 17,632 गांवों में हर घर नल से जल सुनिश्चित

शिमला/शैल। सचिव जल शक्ति विभाग डॉ. अभिषेक जैन ने प्रदेश में पेयजल स्रोतों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हर दस दिन में जल स्रोतों और भंडारण टैंकों का निरीक्षण कर नियमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 'फिक्स इट लेटर' की सोच त्यागकर समय रहते रोकथाम और जिम्मेदार प्रबंधन अपनाने पर बल दिया।

डॉ. जैन ने पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार के साथ-साथ जल शोधन और मल निकासी संयंत्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन सामूहिक जिम्मेदारी है तथा स्रोत पर ही प्रदूषण रोकना सबसे सस्ता और टिकाऊ समाधान है। पाइप लाइनों में रिसाव पर कड़ी कारवाई के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के 17,632 गांवों में हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश में 72 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जिनमें जिला, उप-मंडल और एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला शामिल है। फील्ड अधिकारियों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों, खंड रिसोर्स पर्सन और फील्ड स्टाफ को नालों, खड्डों, झरनों सहित सभी स्रोतों की नियमित जांच तथा फील्ड टेस्ट किट से गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी सफाई एवं सुधार कार्य 15 दिन के भीतर पूरे कर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए।

इस अवसर पर प्रमुख अभियंता अंजू शर्मा ने बताया कि दिसम्बर तक ग्रामीण क्षेत्रों से 2,16,382 जल नमूने लिए गए, जिनमें से केवल 5 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके अतिरिक्त 1,71,250 नमूनों की जांच फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से की गई। विभाग ने 21,392 पेयजल स्रोतों और 15,611 गांवों के पानी के नमूनों की जांच तथा 18,784 स्रोतों का स्वच्छता सर्वेक्षण किया है।

डॉ. जैन ने जनता से जल स्रोतों की सुरक्षा में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर नागरिक स्वयं भी जल नमूने जांच के लिए प्रयोगशालाओं में दे सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री विभाग की पेयजल सहित अन्य योजनाओं की नियमित निगरानी कर रहे हैं।

शाहपुर क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित

शिमला/शैल। शाहपुर उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया की अध्यक्षता में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित शिक्षा एवं आधारभूत संरचना से जुड़े विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल, रैत के निर्माण कार्य पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि विद्यालय के निर्माण के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, रिड़कमार उप-तहसील दरीणी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही शाहपुर राजकीय डिग्री कॉलेज में ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि के प्रावधान पर भी विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया।

उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख वास्तुकार राजीव शर्मा, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा राकेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

सरकारी महाविद्यालय धर्मशाला प्रकरण में त्वरित कारवाई, सहायक प्राध्यापक निलंबित

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला प्रकरण में त्वरित कारवाई करते हुए सहायक प्राध्यापक (भूगोल) अशोक कुमार को विभागीय जांच पूर्ण होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

प्रवक्ता ने बताया कि अशोक कुमार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115(2) एवं 3(5) तथा हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा, छात्रा की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से जुड़े मामले में इसी महाविद्यालय की तीन छात्राओं के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जारी आदेशों के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान अशोक कुमार का मुख्यालय उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला निर्धारित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

हिम एमएसएमई फेस्ट प्रदेश के छोटे उद्यमों को नई दिशा देगा:मुख्यमंत्री

'हिम' ब्रांड से हिमाचली उत्पादों की मिल रही वैश्विक पहचान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रिज मैदान, शिमला में हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का भव्य उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह फेस्ट प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को सशक्त बनाने और 'मेड इन हिमाचल' ब्रांड को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार हिमाचली उत्पादों को 'हिम' ब्रांड के नाम से प्रमोट कर रही है, जिससे स्थानीय उत्पादों की अलग पहचान सुनिश्चित हो और उनका विपणन देश-विदेश में बढ़े। फेस्ट में हजारों उद्यमियों, कारीगरों और स्टार्टअप्स को प्रत्यक्ष बाजार, निवेश और प्रौद्योगिकी से जोड़ने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई के हरितीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम होगा, ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और प्रदेश में परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। देश-विदेश की प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि फेस्ट में शामिल होंगे, जिससे स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को अपने उत्पाद सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हिमाचली कारीगरों द्वारा बनाई गई शॉल का हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि महिला

उद्यमिता और 'एक जिला-एक उत्पाद' योजना पर विशेष फोकस किया जाएगा, जिसमें महिला उद्यमियों को नेटवर्किंग और अनुभव साझा करने के अवसर उपलब्ध होंगे।

सुक्खू ने बताया कि बीते तीन वर्षों में दुबई, जापान और मुंबई जैसे औद्योगिक केंद्रों में निवेशकों से बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रतिबद्धता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 14,000 करोड़ रुपये की 683 औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे लगभग 32,000 रोजगार सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि हिम एमएसएमई फेस्ट नवाचार, निवेश और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने का मंच है। कार्यक्रम के दौरान आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम और पहाड़ी परिधानों पर आधारित फैशन शो भी प्रस्तुत किए गए।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नजीम, डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई डॉ. रजनीश, आयुक्त उद्योग डॉ. यूनुस सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी, विधायक और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने फेस्ट में प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं, 'कॉफी टेबल बुक' का विमोचन किया और विभिन्न उद्यमियों को सम्मानित भी किया।

जल शक्ति विभाग में 419 करूणामूलक नियुक्तिया दी गईः उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश

सरकार करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी कड़ी में जल शक्ति विभाग में 419 करूणामूलक नियुक्तियां दी गई हैं। इनमें श्रेणी-तीन के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 100 तथा मल्टी-टास्क वर्कर के 319 पद शामिल हैं। इस संबंध में सचिव जल शक्ति द्वारा इंजीनियर- इन-चीफ को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी क्षेत्र में सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। इससे प्रभावित परिवारों को दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य की सेवा करने वाले कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करते हुए उनके आश्रितों को आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह कदम मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और व्यापक सुधारात्मक प्रयासों का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के इस फैसले से पिछली भाजपा सरकार के दौरान लंबित रहे करूणामूलक नियुक्तियों के मामलों के बैकलॉग को समाप्त करने में मदद मिली है। वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे पात्र आवेदकों को अब रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नए वर्ष के अवसर पर सरकार ने करूणामूलक नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों को राहत दी है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में 127, गृह विभाग में 74 तथा अभियोजन विभाग में एक पद भरा गया है।

उप-मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का दृष्टिकोण केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्व कर्मचारियों के योगदान का सम्मान करते हुए उनके परिजनों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

तीन वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 नए मामले स्वीकृतः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते तीन वर्षों के दौरान

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 99,799 नए मामलों को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 41,799, वर्ष 2024-25 में 41,012 तथा वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 16,988 नए मामले स्वीकृत किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों पांगी, लाहौल-स्पीति, डोडरा-क्वार तथा कुपवी में पात्र लाभार्थियों को बकाया राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 8,41,917 लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। इनमें 1,04,740 लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, 5,04,253 वृद्धावस्था पेंशन, 25,414 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, 1,26,808 विधवा, परित्यक्त व एकल नारी पेंशन, 1,340 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन तथा 78,291 लाभार्थी दिव्यांगता राहत भत्ता योजना के अंतर्गत शामिल हैं।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 20,735 तथा 18 से 27 वर्ष आयु वर्ग के 853 लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 1,000 रुपये, 2,500 रुपये तथा 4,000 रुपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सॉफ्टवेयर के उपयोग पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि नए पेंशनरों के चयन तथा पेंशन वितरण की प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित की जाए।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक महिला एवं बाल विकास डॉ. पंकज ललित सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एचपीजीआईसी के विनिर्माण संयंत्रों का होगा उन्नयनःउद्योग मंत्री

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीआईसी) के निदेशक मंडल की 236वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कॉरपोरेशन के विनिर्माण संयंत्रों के उन्नयन और आधुनिकीकरण का निर्णय लिया गया।

बैठक के दौरान बोर्ड ने कॉरपोरेशन की सीएसआर समिति के निर्णयों को मंजूरी देते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय को 1 करोड़ 38 लाख 15 हजार 640 रुपये आवंटित करने की स्वीकृति दी। इस राशि से चार स्कॉर्पियो और आठ बोलेरो सहित 12 वाहन खरीदे जाएंगे, जिनका उपयोग राज्य के एंटी-चिट्टा अभियान में किया जाएगा।

इसके अलावा, सीएसआर के तहत जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र के सुनियाड़ी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के नए भवन निर्माण के लिए 17 लाख 65 हजार 900 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कॉरपोरेशन की मसौदा बैलेंस शीट को भी मंजूरी दी।

उद्योग मंत्री ने सीमित कार्यबल और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद 13.37 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करने पर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने निर्देश दिए कि मुनाफे का उपयोग मौजूदा संयंत्रों के आधुनिकीकरण में किया जाये।

बैठक में एचपीजीआईसी के प्रबंध निदेशक अरिंदम चौधरी, विशेष सचिव वित्त विजय वर्धन, वरिष्ठ महाप्रबंधक एस.पी. भाटिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षा नीति में बड़े बदलाव की तैयारी में प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

अंग्रेजी और गणित के लिए जल्द होगी स्पेशल इंस्ट्रक्टरों की भर्ती

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिक्षा नीति में बड़े और दूरगामी बदलाव करने जा रही है। सीबीएसई के अधीन लाये जा रहे सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी और गणित विषयों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान ग्राम पंचायत अमलैहड़ स्थित अपने पैतृक गांव भवड़ां में लगभग 60 लाख रुपये की लागत से बने गुग्गा धाम एवं पार्क के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अमलैहड़ स्कूल को सीबीएसई का दर्जा दिया गया है। यहां राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का निर्माण तेजी से जारी है और अगले वर्ष से कक्षाएं शुरू होंगी। अमलैहड़ सहित प्रदेश के चार चयनित स्कूलों में मल्टीपल सब्जेक्ट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को रुचि के अनुसार विषय चुनने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आहवान करते हुए कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों की ऊंचे दामों पर खरीद कर रही है। प्राकृतिक हल्दी को 90 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है, जिससे किसान पांच कनाल भूमि पर तीन लाख रुपये तक की आय अर्जित कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। चार कनाल भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर युवा प्रतिवर्ष तीन लाख रुपये तक का शुद्ध लाभ कमा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नादौन विधानसभा क्षेत्र में पेयजल योजनाओं पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए यूवी तकनीक और ओजोनेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

इस अवसर पर पंचायत प्रधान सोनिया ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पखरोल गांव में श्री वैकुंठ धाम एवं पार्क का लोकार्पण किया और नादौन में स्वतंत्रता सेनानी इंद्रपाल की प्रतिमा एवं स्मारक का उद्घाटन भी किया।

हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 में 37 एमओयू से 10,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित

शिमला/शैल। हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 के दूसरे दिन शिमला के पीटरहॉफ परिसर में आयोजित इन्वेस्टर मीट ने राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को नीतिगत, प्रशासनिक और संस्थागत सहयोग का भरोसा दिया और देश के विभिन्न हिस्सों से आये सीईओ और निवेशकों के साथ दीर्घकालिक औद्योगिक विकास और निवेश अवसरों पर विचार-विमर्श किया।

इस सत्र में कुल 37 समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनके माध्यम से लगभग 10,000 करोड़ रूपये के निवेश की रूपरेखा तैयार हुई। यह निवेश राज्य की औद्योगिक जीडीपी, पूंजी निर्माण और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इन्वेस्टमेंट प्रस्तावों में फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन मोबिलिटी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं। ये निवेश न केवल तकनीकी दक्षता और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे, बल्कि स्थानीय एमएसएमई क्लस्टर्स को वैश्विक बाजार से जोड़ेंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) आर. डी. नज़ीम ने कहा कि ये एमओयू निवेशक विश्वास, नीति स्पष्टता और प्रशासनिक सुगमता का प्रमाण हैं। निदेशक उद्योग डॉ. यूनुस और अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा ने निवेशकों को राज्य की औद्योगिक पारिस्थितिकी और प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी दी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह निवेश हिमाचल प्रदेश को ग्रीन, इनोवेशन-ड्रिवन और एक्सपोर्ट-ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था की दिशा में तेजी से आगे ले जाएगा। हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 का यह आयोजन राज्य की नई आर्थिक कथा में एक मजबूत अध्याय के रूप में दर्ज होगा।

आप कभी नहीं जान सकते कि आपके कार्यो का क्या परिणाम आएगा, लेकिन यदि आप कुछ नहीं करेंगे, तो कोई परिणाम नहीं आयेगा .....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने में एमएसएमई की निर्णायक भूमिका

हिमाचल प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आज केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आत्मनिर्भरता की मजबूत आधारशिला बन चुके हैं। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और कठिन परिवहन व्यवस्था के बावजूद, राज्य का एमएसएमई सैक्टर स्थानीय हुनर, परंपरा और नवाचार के सहारे विकास की नई इबारत लिख रहा है। यह क्षेत्र अब रोजगार सृजन तक सीमित न रहकर, ग्रामीण सशक्तिकरण, महिला उद्यमिता और टिकाऊ विकास का प्रमुख माध्यम बन चुका है।

हिमाचल की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का महत्व इसलिये भी बढ़ जाता है क्योंकि यहां बड़े उद्योगों की संभावनाएं सीमित हैं। ऐसे में छोटे और मध्यम उद्यम स्थानीय स्तर पर कच्चे माल का उपयोग कर मूल्य संवर्धन करते हैं और गांवों से शहरों तक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, हस्तशिल्प, फार्मास्यूटिकल्स, आयुर्वेद, डेयरी, पर्यटन आधारित सेवाएं और उभरते स्टार्टअप ये सभी क्षेत्र एमएसएमई के जरिए नई पहचान बना रहे हैं। इससे न केवल आय के स्रोत बढ़े हैं, बल्कि युवाओं को पलायन के बजाये अपने ही क्षेत्र में भविष्य गढ़ने का अवसर भी मिला है।

राज्य के पारंपरिक उत्पादों ने एमएसएमई के माध्यम से आधुनिक बाजारों में जगह बनाई है। सेब, शहद, जड़ी-बूटियां, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और स्थानीय खाद्य उत्पाद अब बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और गुणवत्ता मानकों के साथ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स ने छोटे उद्यमियों को बड़ी मंडियों से जोड़ा है, जिससे 'लोकल से ग्लोबल' का सपना साकार होता दिख रहा है। यह बदलाव ग्रामीण उत्पादकों के आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रहा है।

एमएसएमई सैक्टर में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हिमाचल के सामाजिक परिदृश्य में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। स्वयं सहायता समूहों से लेकर व्यक्तिगत स्टार्टअप तक, महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई-कढ़ाई, हथकरघा, ऑर्गेनिक उत्पाद, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है और परिवार व समाज में उनकी निर्णयात्मक भूमिका भी सशक्त हुई है। कई क्षेत्रों में महिला-नेतृत्व वाले उद्यम सामूहिक रोजगार का आधार बनते जा रहे हैं, जो समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सरकारी योजनाओं और नीतिगत समर्थन ने एमएसएमई को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है। वित्तीय सहायता, सब्सिडी, कौशल विकास कार्यक्रम, उद्यमिता प्रशिक्षण और सिंगल विंडो सिस्टम जैसे प्रयासों से छोटे उद्यमियों का भरोसा बढ़ा है। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, एमएसएमई फेस्ट, निवेशक संवाद और क्लस्टर आधारित विकास ने नए उद्यमों को प्रोत्साहित किया है। इससे बाजार संपर्क, तकनीकी सहयोग और निवेश के अवसर बढ़े हैं, जो छोटे उद्योगों को बड़े मंच तक ले जाने में सहायक साबित हो रहे हैं।

हालांकि, एमएसएमई सैक्टर के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कच्चे माल की बढ़ती लागत, सीमित लॉजिस्टिक्स, परिवहन की कठिनाइयां और तकनीकी उन्नयन की जरूरत कई उद्यमों के लिए बाधा बनती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी और मौसम आधारित जोखिम भी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन मार्केटिंग और स्थानीय स्तर पर सहयोगात्मक मॉडल ने इन चुनौतियों को काफी हद तक कम किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऑर्गेनिक खेती, एग्रो-प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, वेलनेस, हर्बल उत्पाद और पर्यटन आधारित एमएसएमई हिमाचल की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगे। यदि तकनीकी नवाचार, वित्तीय पहुंच और बाजार नेटवर्क को और मजबूत किया जाए, तो यह क्षेत्र राज्य को आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास की ओर तेजी से अग्रसर कर सकता है।

कुल मिलाकर, हिमाचल प्रदेश का एमएसएमई सैक्टर छोटे प्रयासों के जरिए बड़े बदलाव की कहानी कहता है। यह क्षेत्र न केवल रोजगार और आय के अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि स्थानीय पहचान, सामाजिक संतुलन और आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत कर रहा है। स्थानीय संसाधनों और आधुनिक सोच के समन्वय से एमएसएमई आज हिमाचल के विकास मॉडल का सबसे भरोसेमंद आधार बन चुका है, जो आने वाले वर्षो में राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

इस्लामिक विश्वास में महिलाओं की स्वतंत्रता सिद्धांत, भ्रांतियां और आगे का मार्ग

गौतम चौधरी

भारत ही नहीं दुनिया के लगभग सभी देशों में इस्लाम का लगभग एक जैसा ही स्वरूप देखने को मिलता है। हालांकि कुछ देशों ने आधुनिकता के साथ इस्लाम को जोड़ दिया है लेकिन डर वहां भी है। पुरातनपंथी वहां भी हावी है। इस्लाम में खास कर महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर होने वाला बहस अक्सर रूढ़ियों, सांस्कृतिक आदतों और राजनीतिक शोर से प्रभावित रहती है। बहुत-से लोग यह नहीं जानते कि आधिक धर्म की वास्तव मर्यादा क्या है और वह क्या सिखाता है। इस्लाम में स्त्रिों के मामले में जब हम सीधे इस्लामी स्रोतों को देखते हैं, तो अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है - इस्लाम ने ऐसे समय में महिलाओं को मजबूत अधिकार दिए, जब उनके पास लगभग कोई अधिकार नहीं थे। कुरान के अवतरण के समय अरब समाज में महिलाओं को बहुत कम सुरक्षा प्राप्त थी। कुछ को विरासत से वंचित रखा जाता था, या संपत्ति की तरह माना जाता था। इस्लाम ने इन प्रथाओं को तोड़ते हुए यह सिखाया कि पुरुष और महिला एक ही आत्मा से उत्पन्न हुए हैं और आध्यात्मिक रूप से समान मूल्य रखते हैं। यही सिद्धांत पारिवारिक जीवन, शिक्षा और समाज में महिलाओं के अधिकारों की नींव बनी।

विवाह के समय महिला को महर दहेज नहीं दिया जाता है, जो उसकी निजी संपत्ति होती है और उसे अपने धन से घर का खर्च चलाने की कोई बाध्यता नहीं है। यह जिम्मेदारी पूरी तरह पति की होती है। यह आर्थिक स्वायत्तता उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वह आर्थिक मजबूरी के कारण किसी अत्याचारी या अवांछित संबंध में रहने के लिए विवश न हो। इस्लाम में महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार केवल एक सामाजिक सुविधा नहीं, बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य है। पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज्ञान की प्राप्ति को हर मुसलमान-स्त्री और पुरुष दोनों, के लिए अनिवार्य बताया। इतिहास में अनेक मुस्लिम महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने इस स्वतंत्रता का उपयोग कर विद्वान, न्यायविद और शैक्षणिक संस्थानों की संस्थापक के रूप में योगदान दिया। उदाहरण के तौर पर फ़ातिमा अल-फ़िहरी ने अल-क़रावीयीन विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय आज इस्लामिक जगत का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान है। यह विश्वविद्यालय मोरक्को में स्थित है और कुछ विद्वान तो इसे दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय मानते हैं।

सामाजिक क्षेत्र में चयन की स्वतंत्रता इस्लामी न्यायशास्त्र का एक अनिवार्य सिद्धांत है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित कुछ सांस्कृतिक प्रथाएँ-जैसे जबरन विवाह या महिलाओं की शिक्षा पर रोक-अक्सर धार्मिक परंपरा समझ ली जाती हैं। जबकि इस्लाम का रुख स्पष्ट है, विवाह या शिक्षा के मामलों में महिला की स्वतंत्र और स्पष्ट सहमति के बिना कोई भी निर्णय वैध नहीं है। पिता, भाई या पति की भूमिका बाधाएँ खड़ी करने की नहीं, बल्कि धार्मिक दायित्व निभाते हुए सहायक बनने की है। इसी सिद्धांत के अंतर्गत तलाक़ का अधिकार भी आता है, क्योंकि इस्लामी क़ानून महिला को ऐसे विवाह से बाहर निकलने की अनुमति देता है जो अत्याचारी हो या टिकाऊ न रहा हो। यद्यपि इन क़ानूनों की व्याख्या इतिहास में अलग-अलग रही है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य महिला के कल्याण से ही जुड़ा हुआ है।

इस्लाम में महिलाओं की स्वतंत्रता पर कोई भी ईमानदार चर्चा आदर्श और वास्तविकता के बीच मौजूद गहरी खाई को स्वीकार किए बिना पूरी नहीं हो सकती। कई समकालीन समाजों में धार्मिक ग्रंथों की पितृसत्तात्मक व्याख्याओं और कठोर सांस्कृतिक मान्यताओं ने उन्हीं स्वतंत्रताओं को दबाने का काम किया है, जिन्हें धर्म मूल रूप से स्थापित करना चाहता था। इस तनाव का बड़ा कारण इस्लाम को, जो एक दैवी मार्ग है और मुस्लिम संस्कृति को जो मनुष्यों द्वारा निर्मित है एक-दूसरे में गड्मड् कर देना है। यानी इस मामले में जो भी विसंगति देखने को मिलती है उसे भले इस्लाम का ही अंग बताया जाता है लेकिन वह किसी कीमत पर इस्लाम के मूल सिद्धांत से मेल नहीं खाता है।

इसमें से कही कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक अस्थिरता, उपनिवेशवाद और कुछ क्षेत्रों में कठोर शाब्दिक विचारधाराओं के उभार ने महिलाओं के अधिकारों को पीछे धकेला है, जिससे ऐसा माहौल बना है जहाँ महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता है, उनकी आवाजाही सीमित होती है और उन्हें सार्वजनिक जीवन से बाहर रखा जाता है। वास्तविकता इससे भिन्न है। ऐसे में शिक्षित युवा मुसलमानों, विद्वानों और मुस्लिम महिलाओं को कुरान और पैग़म्बरी परंपराओं के आधार पर इन प्रवृत्तियों को चुनौती देनी चाहिए और इस्लाम की समतावादी भावना की ओर लौटने की वकालत करनी होगी। उन्हें यह स्थापित करना होगा कि महिलाओं की मुक्ति पश्चिम से आयातित नहीं, बल्कि उनकी अपनी धार्मिक पहचान की मूल भावना का अंग है। इसके लिए इज्तिहाद, स्वतंत्र विधिक चिंतन की ज़रूरत है, ताकि पितृसत्तात्मक परंपराओं को तोड़ा जा सके और न्याय तथा समानता जैसे मूल इस्लामी मूल्यों को उजागर किया जा सके।

राजनीतिक भागीदारी भी इस्लामी परंपरा में महिलाओं की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस्लामिक दुनिया में प्रारंभिक काल से ही महिलाएँ सामुदायिक मामलों में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। इस्लामी इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ महिलाओं ने शासकों को परामर्श दिया और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में भी भाग लिया। इस बात को आधुनिक दुनिया में प्रचारित करने की जिम्मेदारी मुस्लिम महिलाओं को उठानी चाहिए। सच तो यह है कि सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी उनके धर्म से विचलन नहीं, बल्कि उसी की अभिव्यक्ति है। भारतीय मुस्लिम समाज में इस संदर्भ में अपार संभावनाएँ हैं, विशेषकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली मुस्लिम महिलाओं की ऐतिहासिक विरासत को पुर्न जीवित करने की जरूरत है। भारतीय मुसलमानों विशेष रूप से महिलाओं, को अपनी मुस्लिम पहचान को राजनीतिक, पेशेवर और सामाजिक आकांक्षाओं के साथ जोड़ते हुए यह पुनर्परिभाषित करना होगा कि एक स्वतंत्र महिला होने का अर्थ क्या है।

इस्लाम में महिलाओं की स्वतंत्रता एक गतिशील और विकसित होती हुई अवधारणा है, ऐसी यात्रा, जिसका लक्ष्य ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ महिला के विकल्प, चाहे वह काम करना चुने, घर पर रहना, नेतृत्व करना या अनुसरण, उसकी ईश्वर-प्रदत्त क्षमता की अभिव्यक्ति के रूप में सम्मानित किए जाएँ। इस्लामी ढाँचा मानवाधिकारों की वैश्विक चर्चा में एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, यह कहते हुए कि सच्ची मुक्ति तब प्राप्त होती है जब सामाजिक और कानूनी अधिकार उच्च नैतिक उद्देश्यों से जुड़े हों। सच तो यह है, मानव की अंतर्निहित गरिमा पर ज़ोर देकर इस्लाम आधुनिक दुनिया में महिलाओं के शोषण के विभिन्न रूपों के विरुद्ध एक मज़बूत रक्षा प्रणाली प्रस्तुत करता है। आधुनिक मुस्लिम दुनिया, विशेषकर भारतीय मुसलमानों को इन आदर्शो को व्यवहार में उतारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि स्वतंत्रता हर महिला के लिए एक ठोस वास्तविकता बन सके।

बड़े पैमाने पर अवसंरचना का विकास : विकसित भारत की डगर पर अग्रसर भारत

– सुमिता डावरा –

जीडीपी को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों का सृजन करने और अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव डालने में अवसंरचना पर व्यय के विशिष्ट महत्व को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे से संबंधित पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। यह व्यय वर्ष 2014 – 15 में लगभग 2 ट्रिलियन रुपये से पांच गुना से भी अधिक बढ़कर वर्ष 2024 – 25 में 11. 1 ट्रिलियन रुपये हो गया। हाल के रुझान इंगित करते हैं कि बुनियादी ढांचे से संबंधित पूंजीगत व्यय में 38 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, जिसमें भौतिक और डिजिटल दोनों प्रकार के ढांचागत नेटवर्क के विकास पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।

बड़े पैमाने पर किए गए इन आवंटनों का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं समयबद्ध रूप से और कुशल गति से आगे बढ़ें तथा उनमें समय और लागत की अधिकता न हो। निर्माण की लंबी अवधि के कारण ऐसी परियोजनाओं के लिए न केवल पर्याप्त और निरंतर वित्तपोषण की आवश्यकता होती है, बल्कि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियों तथा सामाजिक – आर्थिक पहलुओं से संबंधित अनुमतियों के समय पर मिलने पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इन स्वीकृतियों में अनेक नियामक प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों और जिला – स्तरीय प्रशासन की भागीदारी होती है, जिससे परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए तालमेल और समय पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण हो जाता है।

ढांचागत परियोजनाओं के लिए प्रभावी समन्वय और समय पर स्वीकृतियां मिलना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2015 में प्रगति प्रो – एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल की शुरुआत की। प्रगति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बड़े पैमाने की ढांचागत परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी करता है तथा कार्यान्वयन एजेंसियों, मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अद्यतन जानकारी प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री हर महीने उच्च – स्तरीय समन्वय बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, जिनमें कार्यान्वयन में विलंब का सामना कर रही परियोजनाओं का चयन किया जाता है, मंत्रालयों, राज्यों और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ सीधे संवाद कर बाधाओं की पहचान की जाती है तथा उनके समाधान के लिए स्पष्ट दिशा – निर्देश जारी किए जाते हैं।

इस प्रकार, प्रगति पोर्टल एक ऐसे तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो समय और लागत में वृद्धि का सामना कर रही लंबित परियोजनाओं को गति प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर, नगर निगम से भूमि स्वीकृति न मिलने के कारण किसी मेट्रो रेल परियोजना का वर्षों तक विलंबित रहना, अथवा किसी बड़ी गैस पाइपलाइन परियोजना का कई विविध राज्यों में भूमि संबंधी अड़चनों से जूझना, अथवा लंबे समय से पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही परियोजनाएं आदि। 31 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने प्रगति की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस एकल बैठक में 40,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली पांच महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। कुल मिलाकर, प्रगति तंत्र के माध्यम से अब तक कुल 85 ट्रिलियन रुपये मूल्य की अटकी हुई परियोजनाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाने में सहायता मिली है।

प्रगति के अनुभव से प्राप्त जानकारी विशेष रूप से ऐसी बाधाएं जो बार – बार उत्पन्न होती हैं और परियोजनाओं की पूर्णता में देरी और अक्सर लागत में वृद्धि का कारण बनती हैं। को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने अक्तूबर 2021 में पीएम गति शक्ति पीएमजीएस राष्ट्रीय मास्टर प्लान एनएमपी की शुरुआत की। पीएमजीएस एक जीआईएस – आधारित ढांचा प्रदान करती है, जिसके माध्यम से अवसंरचना, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों तथा देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त डेटा लेयर्स को एक साथ लाकर समेकित अवसंरचना योजना बनाई जाती है। यह डिजिटलीकृत, डेटा – आधारित इंटरफेस योजनाकारों को ढाँचागत परिसंपत्तियों, संसाधनों, केबलों और ग्रिडों सहित अन्य परिसंपत्तियों को समग्र दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाता है, जिससे देश में बुनियादी ढांचे से संबंधित कनेक्टिविटी की वैज्ञानिक एवं समन्वित योजना संभव हो पाती है।

डेटा की सहज दृश्यता उपलब्ध कराकर योजना निर्माण में समन्वित दृष्टिकोण को सक्षम बनाते हुए, पीएमजीएस योजना चरण में ही आवश्यक स्वीकृतियों की शीघ्र पहचान की सुविधा प्रदान करती है। इससे बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं की सहयोगपूर्ण योजना संभव होती है और उन महीनों की बचत होती है जो अन्यथा अनुमोदन प्राप्त करने में व्यर्थ हो जाते। यह परिवर्तनकारी योजना दृष्टिकोण न केवल गति और दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि मौजूदा अवसंरचना परिसंपत्तियों की अनावश्यक पुनरावृत्ति को भी रोकता है तथा परिवहन के विभिन्न माध्यमों के बीच परिसंपत्तियों की परस्पर पूरकता सुनिश्चित करता है। इस प्रकार अवसंरचना योजना में अनेक परिवहन माध्यमों के संयोजन को अंतर्निहित करता है। इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि वे भारत के विकास क्लस्टरों को अधिक प्रभावी ढंग से बाज़ारों से जोड़ सकें, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आती है। फलस्वरूप, अवसंरचना योजना न केवल अधिक कुशल बनती है, बल्कि लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को सुदृढ़ करने वाले परिणाम भी प्रदान करती है।जो जीवन की सुगमता और व्यापार करने की सुगमता दोनों को समर्थन देती है।

उदाहरण के तौर पर, जब पीएमजीएस पोर्टल पर जगदीशपुर हल्दिया एवं बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना की योजना बनाई जा रही थी, तो योजना चरण में ही दो प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई। इनमें स्पर लाइन के एक छोटे हिस्से के लिए वन विभाग से आवश्यक स्वीकृति तथा 83 किलोमीटर लंबाई के लिए मुआवज़े के भुगतान का लंबित रहना शामिल था। इससे योजना प्राधिकरणों को परियोजना को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने से पहले ही इन मुद्दों की आसानी से पहचान कर उनका समाधान करने में सहायता मिली।

इसी प्रकार, जीआईएस पोर्टल पर गोवा कर्नाटक सीमा से कुंडापुर खंड तक राष्ट्रीय राजमार्ग के चार – लेन निर्माण की योजना बनाते समय, सड़क को जिन भू – भागों से होकर गुज़रना था, वहां भूमि स्वामित्व से संबंधित डेटा गुणों के साथ बस्तियों की स्पष्ट दृश्यता के कारण सड़क अतिक्रमण को एक संभावित चुनौती के रूप में पहचाना गया। वहीं, पीएमजीएस पोर्टल पर मुंबई शहरी परिवहन परियोजना एमयूटीपी चरण 2 की योजना के दौरान, रेल मंत्रालय छोटे – छोटे भूखंडों से संबंधित लंबित भूमि अधिग्रहण को पहले ही देख सका, जिनमें आगे चलकर परियोजना के प्रारंभ के बाद विलंब की संभावना थी।

इस प्रकार, योजना से जुड़ी एजेंसियां प्रगति के सिद्धांतों के अनुरूप पीएमजीएस तंत्र का उपयोग परियोजना की योजना और क्रियान्वयन में अधिक दक्षता और गति लाने के लिए कर रही हैं। भारतीय रेलवे ने पीएमजीएस पोर्टल पर अपने महत्वाकांक्षी ऊर्जा गलियारे की योजना बनाई है, जिसमें कोयला उत्पादन क्षेत्रों को थर्मल पावर प्लांटों के खपत बिंदुओं से जोड़ने वाला समर्पित रेल नेटवर्क शामिल है, ताकि देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जीआईएस – पोर्टल के माध्यम से इन मार्गों पर जाम की स्थिति की पहचान की गई और ऊर्जा सामग्री के निर्बाध परिवहन के लिए मार्ग को मजबूत करने की योजना बनाई गई।

गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने लद्दाख और हरियाणा के बीच हरित ऊर्जा गलियारे की योजना बनाने में भी मदद की। इससे लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को उत्तरी मैदानों तक पहुंचाने की सुविधा मिली, जिसमें भौगोलिक चुनौतियों को पार करते हुए, ट्रांसमिशन लाइनों का वन और वन्यजीव पर्यावासों के साथ न्यूनतम संपर्क सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार उन मुद्दों को टाला जा सका, जो परियोजनाओं में संभावित विलंब का कारण बन सकते थे।

चाहे यह हजारों करोड़ रुपये के निवेश वाली बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजनाएं हों, वाराणसी और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों में शहरी लॉजिस्टिक्स पहल हों, या प्रमुख बंदरगाहों और उनके अंतर्गत क्षेत्रें के बीच कनेक्टिविटी सुधारना हो। गति शक्ति के सिद्धांत परियोजना के योजना चरण में 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रहे हैं। विविध डेटा – लेयरों में बढ़ी हुई दृश्यता योजना की दक्षता को सुधार रही है,

पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में व्यवधान को न्यूनतम कर रही है, ऐसी भूमि के अधिग्रहण को टाल रही है, जिस पर आगे चलकर मुकद्दमेबाज़ी हो सकती है और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अवसंरचना की योजना बनाने की सुविधा प्रदान कर रही है। ढांचागत परियोजनाओं की समन्वित समीक्षा, निगरानी और उनमें तेजी लाने में प्रगति तंत्र की सफलता के आधार पर और पीएम गति शक्ति द्वारा अवसंरचना कार्यान्वयन में अधिक समेकित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण प्रदर्शित किए जाने के साथ ही भारत अब अपनी आर्थिक कूटनीति के तहत वैश्विक स्तर पर अपनी सीख को साझा करने के लिए अच्छी स्थिति में है। जो अधिक कुशल और समन्वित ढांचागत योजना का मॉडल प्रस्तुत करता है, जो डेटा – आधारित, समन्वित है और जिसकी बदौलत उसका समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है।

(लेखिका भारत सरकार में केंद्रीय श्रम सचिव और विशेष सचिव लॉजिस्टिक्स पद पर रही है)

स्कूल क्लस्टर प्रणाली: हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नई राह

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्यभर में 'स्कूल क्लस्टर प्रणाली' को लागू कर दिया है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से अलग – थलग पड़े छोटे स्कूलों की समस्या को खत्म करने और प्रत्येक छात्र को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बताया कि इस पहल के तहत कुल 1,968 स्कूल क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला को मुख्य स्कूल का दर्जा दिया गया है, जिसके अधीन 7 – 8 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय आते हैं। अब प्रधानाचार्य पूरे क्लस्टर के बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए जिम्मेदार होंगे।

इस हब – एंड – स्पोक मॉडल के तहत छोटे स्कूलों के छात्र मुख्य स्कूलों में उपलब्ध आधुनिक संसाधनों का लाभ उठा सकेंगे। सभी क्लस्टर स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाएं, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और बहुउद्देशीय खेल परिसर उपलब्ध हैं। इससे दूरदराज के ग्रामीण स्कूल और बड़े शहरी संस्थान एक समान शिक्षा स्तर पर पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा खोले गए कम नामांकन वाले स्कूलों का पुनर्गठन किया। 770 ऐसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय बंद किए गए, जबकि 532 छोटे स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में विलय किया गया। इससे शिक्षक – विद्यार्थी अनुपात बेहतर हुआ और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हुआ।

सुक्खू ने कहा कि सरकार ने स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम पढ़ाई शुरू की है और राजीव गांधी डे – बोर्डिंग स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। शिक्षकों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विजिट्स पर भेजा जा रहा है, ताकि उन्हें वैश्विक शिक्षा प्रणाली से रू – ब – रू होने का अवसर मिले।

इस पहल के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 21वें स्थान से 5वें स्थान तक की छलांग लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा, 'स्कूल क्लस्टर प्रणाली केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास और समुदायिक सहयोग को सुदृढ़ करने में भी मदद कर रही है। यह राज्य की आगामी पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव तैयार करेगी।'

हिमाचल के युवा दिल्ली के राष्ट्रीय मंच पर

'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग – 2026' के राष्ट्रीय चरण में हिमाचल के युवा 35 लेंगे भाग

शिमला। हिमाचल प्रदेश के युवा एक बार फिर राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग – 2026' के तीसरे चरण के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिलों से चयनित 35 विद्यार्थी आगामी राष्ट्रीय चरण में भाग लेने के लिए 7 जनवरी को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धौलाधार परिसर से रवाना होंगे। चयनित दल में 12 छात्राएं और 23 छात्र शामिल हैं।

यह युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव – 2026 के अंतर्गत आयोजित प्रतिष्ठित कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें देशभर से लगभग 3,000 युवा नेता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस दौरान चयनित प्रतिभागी विकसित भारत के निर्माण को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का फाइनल 12 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा।

इस आयोजन के लिए हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय को राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.सत प्रकाश बंसल ने चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे विश्वविद्यालय और प्रदेश दोनों के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं की भागीदारी भविष्य के भारत की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

दिल्ली रवाना होने से पूर्व चयनित दल 7 जनवरी को शिमला पहुंचेगा, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल युवाओं से संवाद करेंगे। इस अवसर पर आयोजित प्रेरणादायी कार्यक्रम से युवाओं को राष्ट्रीय मंच के लिए मार्गदर्शन और आत्मविश्वास मिलेगा। रवानगी से पहले विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. नरेंद्र सांख्यान ने भी युवाओं को शुभकामनाएं दीं।

इस मंच पर हिमाचल के युवा आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया – मेक फॉर द वर्ल्ड, भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, सतत और हरित विकास, स्मार्ट कृषि, फिट भारत, नवाचार के साथ परंपरा, स्टार्टअप संस्कृति, महिला नेतृत्व और लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के ये युवा राष्ट्रीय संवाद में प्रदेश की आकांक्षाओं और संभावनाओं की सशक्त आवाज बनेंगे।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 53 पद और विभिन्न श्रेणियों के 121 पद भरने का निर्णय लिया गया, जिसमें टीचिंग और नॉन-टीचिंग फैकल्टी तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ के पद शामिल हैं। असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 600 पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से सृजित होंगे। डॉक्टरेट ऑफ मेडिसन और मास्टर ऑफ चिरुरगिया की योग्यता वाले फैकल्टी डॉक्टरों को बेसिक पे का 20 प्रतिशत इंसेंटिव देने की मंजूरी दी गई।

बैठक में जल शक्ति विभाग में जॉब ट्रेनी और जूनियर इंजीनियर सिविल के 40 पद और ग्रामीण विकास विभाग में सीधे भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के 10 पद भरने की मंजूरी दी गई। राज्य के 100 चिन्हित ब्ठैम स्कूलों के लिए भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यकाल और प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंडों के साथ समर्पित सब-कैडर बनाने का भी निर्णय लिया गया। धर्मशाला के टोंग-लेन स्कूल में नामांकित और पढ़ने वाले बच्चों और ऐसे बच्चों को जिनके माता-पिता में से कोई दिव्यांग है या

कोई माता-पिता ने बच्चे का परित्याग किया है, मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

शीतलपुर में हिमाचल और चंडीगढ़ की सीमा पर विश्व स्तरीय टाउनशिप बनाने, रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और विवादों के तेजी से निपटारे के लिए नियमों में संशोधन करने और ऊना जिले के पालकवाह खास में SDRF के स्थानांतरण की मंजूरी भी दी गई। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में चरवाहों के रोजगार और उनके पशुधन की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नया कानून और परियोजना लागू करने का निर्णय लिया गया। मिल्कफेड और राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के तहत नाहन, नालागढ़, मोहाल, रोहड़ू, जलाड़ी, झलेड़ा, करसोग और पांगी में दूध प्रसंस्करण, मिल्क चिलिंग सेंटर और बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड लिमिटेड को कार्यशील पूंजी की पूर्ति के लिए 60 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट भी दी गई।

तकनीकी शिक्षा निदेशालय के तहत पांच सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एप्लाइड साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर पदों को कार्यात्मक रूप से इंटरचेंजेबल मानते हुए फंक्शनल इक्विवेलेंस मॉडल लागू किया जाएगा। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीटयूट ऑफ इनोवेशन, स्किल, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मंजूरी दी गई। हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी या कीट प्रकोप से प्रभावित पेड़ों की कटाई की अनुमति दी गई।

राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना में छोटे दुकानदारों के व्यवसायिक ऋण पर एकमुश्त निपटान सहायता, हिमाचल प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करना, मलोट में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना और मुख्यमंत्री लोक भवन योजना के निर्माणाधीन भवनों को रियायत प्रदान करने की मंजूरी दी गई। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन कर निःशुल्क बिजली और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का लाभ 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं पर लागू करने और एसजेवीएनएल की नाथपा झाकड़ी व रामपुर परियोजनाओं में इक्विटी हिस्सेदारी हिमाचल सरकार को पुनः आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा विभाग में 28 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर रोजगार देने, बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र में आधुनिक वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण, फ्रेंच विकास एजेंसी के सहयोग से 892 करोड़ रुपये की लागत की आपदा प्रभावित न्यूनीकरण एवं तैयारी परियोजना और राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत 18 से 42 सीटर बसों की खरीद पर अनुदान देने की मंजूरी भी दी गई। मंत्रिमंडल ने कुल मिलाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में व्यापक सुधार और विकास सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम के द्वितीय चरण का शुभारंभ:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पीटरहॉफ, शिमला में 'स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर' अभियान के तहत सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में प्रदेश निरंतर सकारात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और शहरी विकास को समावेशी व टिकाऊ बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना, 15 म्यूनिसिपल शेयरड सर्विस सेंटर, 9 नई ऑनलाइन सेवाएं, मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार योजना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (हमीरपुर व शिमला) तथा हाइड्रोलिक पार्किंग परियोजना का शुभारंभ किया।

उन्होंने योजना के लाभार्थियों को सेटलमेंट लेटर और अमृत मित्र योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को अवार्ड लेटर प्रदान किए तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सम्मानित किया। इस दौरान शहरी विकास विभाग ने चार संस्थाओं व उपक्रमों के साथ विकास कार्यों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्रे ने कहा कि हिम सेवा सुविधा पोर्टल के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो देश में एक अनूठी पहल है। उन्होंने बताया कि शिमला सब्जी मंडी में 400 करोड़ रुपये की लागत से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हमीरपुर में 150 करोड़ रुपये से सौंदर्यीकरण कार्य तथा ओल्ड बस स्टैंड के स्थान पर आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत 707 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजनाएं शीघ्र लागू होंगी।

उन्होंने बताया कि बद्दी के समीप प्रस्तावित विश्व स्तरीय हिम-चंडीगढ़ शहर के लिए शीघ्र कंसलटेंट नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या बढ़ाकर 75 कर दी गई है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत शहरी गरीबों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार दिया जा रहा है। जीआईएस तकनीक के माध्यम से कर संग्रह, संपत्ति सत्यापन और पारदर्शिता को सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्तमान में 36 शहरी निकायों में जीआईएस आधारित मैपिंग शुरू की गई है।

उन्होंने छोटे दुकानदारों के लिए ऋण राहत की घोषणा करते हुए बताया कि एनपीए घोषित दुकानदारों को एक लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम के दूसरे चरण में 9 नई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे सरकार और जनता के बीच दूरी कम होगी।

47.37 करोड़ रुपये की परियोजना के अंतर्गत 15 क्लस्टर आधारित एकीकृत नागरिक सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक शहरी घर को डिजिटल डोर प्लेट के माध्यम से विशिष्ट पहचान दी जाएगी। साथ ही, कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शहरों में जनसंख्या के अनुरूप आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है। प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार पर बल दिया। निदेशक शहरी विकास नीरज कुमार ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, महापौर शिमला सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल सहित प्रदेशभर के शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि और गणमान्य उपस्थित रहे।

देश के सभी किसानों व बागवानों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार ने सभी किसानों एवं बागवानों के लिए फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार की एग्रीस्टैक (AgriStack) पहल के अंतर्गत प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य प्रगति पर है, जिसका उद्देश्य किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी, लक्षित और समयबद्ध रूप से उपलब्ध करवाना है।

कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस परियोजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों और बागवानों की यूनिक फार्मर आईडी तैयार की जा रही है। कृषि एवं बागवानी विभाग द्वारा समन्वय के साथ इस कार्य को क्रियान्वित किया जा रहा है। फार्मर आईडी बनने के बाद किसान केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कृषि, बागवानी, प्राकृतिक खेती, बीज, उर्वरक, सिंचाई, फसल बीमा अनुदान, पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि फार्मर आईडी के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण (eKYC@OTP) आवश्यक होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, सुरक्षित और पारदर्शी है। किसान स्वयं भी घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए गूगल पर (Farmer Registry Himachal Pradesh) सर्च किया जा सकता है या सीधे https://hpfr.agristack.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। वेबसाइट पर (Farmer) विकल्प के माध्यम से यूजर अकाउंट बनाकर भूमि एवं कृषि से संबंधित विवरण भरना होगा। सत्यापन के उपरांत फार्मर आईडी जारी कर दी जाएगी।

ऑनलाइन प्रक्रिया में असुविधा होने पर किसान अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर निःशुल्क फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित कृषि या बागवानी अधिकारियों से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रवक्ता ने प्रदेश के सभी किसानों और बागवानों से समय रहते फार्मर आईडी बनवाने का आग्रह किया है, ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना, अनुदान या सहायता से वंचित न रहना पड़े। यह पहल किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का किया शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग की वेबसाइट https://hpscforsc.com के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे और उन्हें आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का संतुलित और समग्र विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। अनुसूचित जाति आयोग इन योजनाओं को धरातल पर उतारने और अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा के साथ-साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जनगणना 2027 के प्रथम चरण की तैयारियों की समीक्षा

शिमला/शैल। आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियों की समीक्षा की। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सभी उपायुक्त, नगर आयुक्त तथा शहरी विकास निदेशालय के अधिकारी जुड़े।

बैठक में जनगणना निदेशालय की निदेशक दीप शिखा शर्मा ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से जनगणना 2027 के डिजिटल रोडमैप और संचालन ढांचे की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पूर्व परीक्षण के दौरान उपयोग में लाये गए ऐप्स तथा हिमाचल प्रदेश में प्रथम चरण की पूर्व परीक्षा से प्राप्त अनुभवों को भी साझा किया।

बैठक के दौरान तहसील, उप-तहसील और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर सर्कुलर-1 एवं 2 को अंतिम रूप देने, जिला उपायुक्तों द्वारा सत्यापन, राज्य मास्टर प्रशिक्षकों, क्षेत्रीय प्रशिक्षकों, प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण की तिथियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों से जनगणना 2027 के सुचारू और समयबद्ध संचालन के लिए पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने का आहवान किया।

समाज को दिशा देते हैं साहित्यकार:विक्रमादित्य

शिमला/शैल। नव वर्ष के पहले दिन शिमला के गेयटी थियेटर सभागार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सात पुस्तकों का लोकार्पण किया। लोकार्पित पुस्तकों में एस.आर. हरनोट की मंदिर और लोक श्रुतियां और कुन्जोम, सुदर्शन वशिष्ठ की किन्नर कैलाश से मणिमहेश, अजेय की रोहतांग आर-पार तीसरा संस्करण, टाशी छेरिंग नेगी की किन्नौर, छेप राम की संस्कृति के सात अध्याय और अखिलेश पाठक की देवभूमि की आत्मा शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि ये पुस्तकें हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों और प्रदेश की मंदिर तथा लोक संस्कृति पर आधारित हैं। उन्होंने साहित्यकारों को समाज का दर्पण बताते हुए कहा कि उनकी रचनाओं के माध्यम से लोक भाषा, परंपराएं और रीति-रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होते हैं। सच्चे लेखक निडर होकर इतिहास को उसके वास्तविक स्वरूप में समाज के सामने लाते हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं में पुस्तकों के प्रति रुचि कम होने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि सोशल मीडिया का नियंत्रित उपयोग करते हुए उन्हें नियमित रूप से किताबें पढ़नी चाहिए। उन्होंने शिमला में भी जयपुर और कसौली की तरह साहित्यिक महोत्सव आयोजित करने का सुझाव दिया, ताकि हिमाचल की साहित्यिक संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके।

कार्यक्रम का आयोजन हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच और आधार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। गायक ओम प्रकाश ने लोकगीत प्रस्तुत किए, मंच संचालन युवा कवि आलोचक सत्यनारायण स्नेही ने किया, और धन्यवाद प्रस्ताव वरिष्ठ लेखक जगदीश बाली ने पेश किया। कार्यक्रम में सचिव शिक्षा, भाषा एवं संस्कृति राकेश कंवर, वरिष्ठ लेखक और साहित्य प्रेमी उपस्थित थे।

स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम के तहत गोद लिए स्कूलों का औचक निरीक्षण करें उपायुक्त: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 'अपना विद्यालय – हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम' के तहत सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को सक्रिय भूमिका

निभाने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्तों के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त और वरिष्ठ अधिकारी कम से कम चार – चार सरकारी स्कूल गोद लेंगे तथा प्रतिमाह विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। उपायुक्त गोद लिए गए स्कूलों का औचक निरीक्षण भी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत गोद लिये गये स्कूलों की सूची 5 जनवरी, 2026 तक सरकार को प्रस्तुत की जाए। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 4,231 स्कूल इस योजना के तहत गोद लिए जा चुके हैं। अधिकारियों को विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी संबंधी जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और कमजोर वर्ग के बच्चों को सही मार्गदर्शन देना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के नियमित दौरों से विद्यार्थियों को नशे की बुराइयों से दूर रखने और राष्ट्रीय मूल्यों को मजबूत करने पर भी बल दिया।

उन्होंने चिट्टा तस्करों के खिलाफ सख्त कारवाई के निर्देश देते हुए अवैध संपत्तियों की जब्ती और अवैध निर्माण ध्वस्त करने को कहा। साथ ही, चिट्टा कारोबार से जुड़े सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध समयबद्ध कारवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के सचिवों को 80 प्रतिशत तक पूर्ण विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने, वन भूमि से संबंधित स्वीकृतियों को प्राथमिकता देने तथा बीपीएल परिवारों के चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

विभिन्न विभागों में रिकॉर्ड 980 करूणामूलक नियुक्तियां: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में 980 पात्र प्रार्थियों को करूणामूलक आधार पर नियुक्तियां देकर दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार सुनिश्चित किया है। ये नियुक्तियां 1 अक्तूबर से 31 दिसम्बर 2025 तक दी गई विशेष छूट अवधि के दौरान प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें 366 तृतीय श्रेणी और 614 चतुर्थ श्रेणी (मल्टी टास्क वर्कर) के पद शामिल हैं। जल शक्ति विभाग में सर्वाधिक 419 नियुक्तियां की गई, जबकि लोक निर्माण विभाग में 175 और शिक्षा विभाग में 128 नियुक्तियां प्रदान की गई। इसके अलावा गृह, स्वास्थ्य, पशुपालन सहित कुल 19 विभागों में नियुक्तियां दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान वर्षों से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाकर पात्र परिवारों को त्वरित राहत दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है।

कंडाघाट में दिव्यांग शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला, 200 करोड़ से होगा निर्माण:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला सोलन के कंडाघाट में दिव्यांगजनों के लिए स्थापित किए जाने वाले दिव्यांगजन शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 45 बीघा भूमि पर बनने वाले इस केंद्र पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसके प्रथम चरण का कार्य अक्तूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र में 300 दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा, आवासीय सुविधा और खेल मैदान उपलब्ध होंगे। साथ ही यहां 500 किलोवाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश का अपनी तरह का पहला संस्थान होगा, जो दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षा, विशेष शिक्षा, कौशल विकास तथा अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा और देशभर के लिए एक मॉडल बनेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र के अंतर्गत 15.33 करोड़ रुपये की लागत से महिलाओं के लिए कार्यशील छात्रावास का भी निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृत्ति तथा दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। विवाह अनुदान सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

जल विद्युत परियोजनाओं से भू-राजस्व वसूली राज्य का अधिकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में कार्यरत विभिन्न जल विद्युत परियोजना डेवेलपर्स के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता

करते हुए भू-राजस्व के विशेष मूल्यांकन पर विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है और इन संसाधनों पर राज्य का अधिकार है। प्रदेश में कार्यशील सभी जल विद्युत परियोजनाओं को नियमानुसार भू-राजस्व (लैंड रेवेन्यू) अदा करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल विद्युत परियोजना डेवेलपर्स का यह दायित्व है कि वे राज्य को भू-राजस्व का भुगतान करें। भू-राजस्व प्राप्त करना राज्य का वैधानिक अधिकार है, हालांकि इसकी दरों के युक्तिकरण पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 25 मेगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े डेवेलपर्स के साथ इस विषय पर 12 जनवरी को शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सुनिश्चित संसाधनों का उपयोग जनता के हित और विकास के लिए कर रही है। जल विद्युत परियोजना डेवेलपर्स की समस्याओं का सार्थक समाधान करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं और केंद्र सरकार व पड़ोसी राज्यों के समक्ष राज्य के अधिकारों को मजबूती से रखा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को स्थायी सदस्यता देने तथा वर्ष 1966 से 2011 तक के लगभग 6500 करोड़ रुपये के एरियर शीघ्र जारी करने की मांग की है।

इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी अपने विचार साझा किए। बैठक में विभिन्न हितधारकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने सुझाव और पक्ष रखे।

मिल्कफेड की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (मिल्कफेड) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के सभी दुग्ध संयंत्रों में दूध प्राप्ति एवं अन्य संबंधित डेटा का ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने मिल्कफेड की गतिविधियों को सुदृढ़ करने और गुणवत्ता मानकों के कड़ाई से पालन पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने ढगवार दुग्ध संयंत्र के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि इससे कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादक किसानों की आय को संबल मिलेगा। उन्होंने मिल्कफेड को बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने तथा सभी दुग्ध संयंत्रों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद प्राथमिकता से भरने के निर्देश दिए।

उन्होंने मिल्कफेड के मिल्कबार और विपणन कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिक दक्षता लाने पर जोर दिया तथा देसी घी के विपणन को 'हिमईरा' के माध्यम से करने की संभावना भी जताई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये तथा भैंस के दूध का 47 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर किया है। इसके साथ ही दूध पर परिवहन सब्सिडी 1.50 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

बैठक में प्रबंध निदेशक राजेश शर्मा ने मिल्कफेड की गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल, मिल्कफेड अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने लंबित तक़सीम मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र एवं समयबद्ध समाधान के लिए अधिकारियों को

कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी, 2026 के बाद सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बुधवार और वीरवार को तक़सीम मामलों की सुनवाई सुनिश्चित करेंगे। इस व्यवस्था के तहत हर माह तक़सीम मामलों की कम से कम 12 दिन सुनवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी जिलों के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले के उपायुक्त हर शनिवार को तक़सीम मामलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा इसकी रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व को प्रस्तुत करेंगे। राजस्व सचिव सोमवार को यह रिपोर्ट राजस्व मंत्री को सौंपेंगे और राजस्व मंत्री हर माह के अंतिम सोमवार को मुख्यमंत्री को प्रगति से अवगत करवाएंगे।

ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राजस्व विभाग को प्रदेश की निजी, वन एवं सरकारी भूमि का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने तथा राजस्व अदालतों में लंबित मामलों का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने दुरुस्ती से संबंधित सभी लंबित राजस्व मामलों को 31 मार्च, 2026 तक निपटाने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए सेवानिवृत्त पटवारी, क़ानूनगो, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों को पुन: नियुक्ति देने तथा संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से अक्तूबर 2023 से अब तक प्रदेश में हजारों राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है।

तीन दिन में 30 लाख से अधिक का कारोबार

शिमला/शैल। ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित हिम एमएसएमई फेस्ट – 2026 के दौरान रिज स्थानीय उत्पादों के एक प्रभावी ट्रेड सेंटर के रूप में उभरा। महोत्सव के तीन दिनों में 30 लाख रुपये से अधिक का कारोबार दर्ज किया गया, जिससे प्रदेश के एमएसएमई उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं के बढ़ते भरोसे का संकेत मिला।

आयोजन में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जिनमें पहली बार फैक्ट्री आउटलेट स्टॉल विशेष आकर्षण रहे। यहां उपभोक्ताओं को नामी ब्रांड्स के उत्पाद सीधे फैक्ट्री दरों पर उपलब्ध कराए गए, जिससे गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं किफायती कीमत पर मिलीं और स्थानीय उद्यमियों को प्रत्यक्ष विपणन का मंच मिला।

हैंडलूम, लेदर, खाद्य सामग्री और वुड प्रोडक्ट्स सहित विभिन्न श्रेणियों के स्टॉलों पर देश – विदेश से आये पर्यटकों ने जमकर खरीदारी की। इससे हिमाचल के स्थानीय उत्पादों को नई पहचान और बाजार मिला तथा 'लोकल से ग्लोबल' की अवधारणा को बल मिला।

उद्योग विभाग की इस पहल की उपभोक्ताओं, पर्यटकों और उद्यमियों ने सराहना की। इस अवसर पर उद्योग विभाग के निदेशक डॉ. यूनुस ने आयोजन से जुड़े सभी सहभागियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ – साथ रोजगार, उद्यमिता और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

हिमाचल बनेगा निवेशकों का भरोसेमंद ठिकाना सुक्खू का दावा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने

कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में स्थापित उद्योगों को सशक्त बनाने और नये निवेश को आकर्षित करने के लिए ठोस और दूरदर्शी कदम उठा रही है। उद्योग विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय हिम एमएसएमई फेस्ट – 2026 के तहत पीटरहॉफ शिमला में आयोजित सम्मेलन में देश – विदेश से आये उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक भविष्य का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया।

सम्मेलन के दौरान प्रदेश सरकार और उद्यमियों के बीच 10,000 करोड़ रूपये की लागत से संबंधित 37 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गये, जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में शीघ्र ही नई उद्योग नीति लागू की जायेगी, जो निवेशकों की आवश्यकताओं और आधुनिक औद्योगिक परिवेश के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हिमाचल को हरित औद्योगिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रामीण औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। औद्योगिक क्षेत्रों में लॉजिस्टिक लागत घटाई जाएगी और आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा।

उद्योगों को राहत देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध एवं सबसे कम दरों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे शीघ्र इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें ताकि परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके।

परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलावों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 22 हजार पेट्रो फ्यूल टैक्सियों को चरणबद्ध रूप से ई – वाहनों में बदला जाएगा, जिसके लिए 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन से बसों के संचालन के लिए शीघ्र टेंडर जारी किए जाएंगे। धारा – 118 से जुड़ी उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दिया गया।

पर्यटन और अवसंरचना को औद्योगिक विकास का अहम आधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्दी – चंडीगढ़ रेलवे लाइन के लिये राज्य सरकार ने केंद्र को अग्रिम भुगतान कर दिया है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार हेतु 31 मार्च तक भूमि अधिग्रहण पूरा किया जाएगा। प्रदेश में 200 पांच सितारा होटलों को अनुमति दी जाएगी और चंडीगढ़ के समीप 'हिम चंडीगढ़' नाम से विश्वस्तरीय शहर विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई को मजबूती देने के लिए फार्मा लैब, टेक्नोलॉजी सेंटर, गैस कनेक्टिविटी, कौशल विकास केंद्र और सीआईपीईटी जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। ऊना में स्थापित बल्क ड्रग पार्क को अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है। 2071 करोड़ रूपये की लागत वाला यह पार्क 8,000 से 10,000 करोड़ रूपये निवेश और 15 से 20 हजार रोजगार सृजन की क्षमता रखता है।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन के लिए उदार नीतियां तैयार की जा रही हैं और उद्यमियों को हरसंभव सहयोग

टाउनशिप योजनाओं के बहाने हिमाचल की ज़मीने बेची जा रही जयराम का आरोप

शिमला/शैल। शिमला से जारी एक ब्यान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर

ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार 'हिमाचल ऑन सेल' की नीति से पीछे नहीं हटी है और विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश की भूमि और संसाधनों के संबंध में निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने शीतलपुर क्षेत्र में प्रस्तावित टाउनशिप योजना को लेकर सरकार की मंशा पर प्रश्न उठाये।

जयराम ठाकुर ने दावा किया कि शीतलपुर में लगभग 3485 बीघा भूमि पर टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की स्वीकृति दी गई है। उनके अनुसार, संबंधित भूमि का सर्किल रेट के आधार पर मूल्यांकन लगभग 754करोड़ रूपये बताया गया है, जबकि उसका बाज़ार मूल्य इससे कहीं अधिक हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उक्त भूमि के उपयोग और आवंटन को लेकर पारदर्शिता के प्रश्न उठते हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोप लगाया कि प्रस्तावित योजना के अंतर्गत भूमि को पहले राज्य की एक विकास एजेंसी के माध्यम से और तत्पश्चात निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। उन्होंने इसे संभावित रूप से सार्वजनिक हित से जुड़ा विषय बताया और कहा कि इससे संबंधित सभी पहलुओं की सार्वजनिक जांच होनी चाहिए।

जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि बीबीएन क्षेत्र की जिस भूमि पर टाउनशिप प्रस्तावित बताई जा रही है, वह पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील है और वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि से पारिस्थितिकी संतुलन प्रभावित हो सकता है। उन्होंने जिला सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र में 134 बीघा भूमि पर भी इसी प्रकार की एक और टाउनशिप बनाने की योजना का उल्लेख करते हुए दावा किया कि संबंधित पंचायत क्षेत्रों में भूमि से जुड़े प्रस्तावों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाये जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के सत्ता में आते ही हिमाचल टूरिज्म के होटलों को निजी हाथों में देने, मेडिकल डिवाइस पार्क की ज़मीन बेचने और पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि को बेचने जैसे प्रयास किये गये, जिन्हें न्यायालय ने रोका। उन्होंने आरोप लगाया कि धारा 118 में बार – बार संशोधन कर 'चोर दरवाज़े' खोले गए और उद्योगों के नाम पर भूमि आवंटन में अनियमितताएं हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के कार्यकाल में भूमि, संसाधनों और अधोसंरचना से जुड़े विभिन्न निर्णयों पर पहले भी सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के विरुद्ध नहीं है, किंतु किसी भी विकास प्रक्रिया में पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक हित सर्वोपरि होने चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने नव वर्ष के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि नया वर्ष प्रदेश के लिए शांति, समृद्धिऔर संतुलित विकास लेकर आए।

नालागढ़ धमाका कानून–व्यवस्था पर सवाल

शिमला/शैल। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सहजल ने नालागढ़ में हुए संदिग्ध

धमाके और एनआईए जांच को कांग्रेस सरकार की विफल कानून – व्यवस्था का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक एवं संवेदनशील क्षेत्र नालागढ़ में इस तरह की घटना सरकार की प्रशासनिक कमजोरी को उजागर करती है।

डॉ. सहजल ने कहा कि पुलिस थाना नालागढ़ के समीप धमाके से आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा और एनआईए व फॉरेंसिक टीम को मौके पर आना पड़ा, जिससे मामले की गंभीरता स्पष्ट होती है। इसके बावजूद सरकार इसे सामान्य घटना बताकर जनता को गुमराह कर रही है।

उन्होंने नालागढ़ के डीएसपी भीष्म ठाकुर की तैनाती पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनवरी 2024 में सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी को दो वर्ष का एक्सटेंशन देकर संवेदनशील क्षेत्र में नियुक्त करना सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।

डॉ. सहजल ने कहा कि अधिकारी के बार – बार अवकाश पर रहने से क्षेत्र की कानून – व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने सवाल किया कि योग्य और युवा अधिकारियों की उपलब्धता के बावजूद सेवानिवृत्त अधिकारी को राजनीतिक संरक्षण देकर क्यों तैनात रखा गया है।

उन्होंने नालागढ़ धमाके की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच, डीएसपी स्तर की नियुक्तियों की समीक्षा और क्षेत्र में पूर्णकालिक, सक्षम अधिकारी की तैनाती की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने हालात नहीं सुधारे तो भाजपा इस मुद्दे पर सड़क से सदन तक आन्दोलन करेगी।